न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 02/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/08

प्रार्थी

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रर्थी

1. कोमल पुत्री भगवानदास जाति स्वामी निवासी बलरादास कॉलोनी, नागौर जिला नागौर।
2. विजयकुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी झालरा तालाब मकराना, तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचमान।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से तहसीलदार मकराना
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री सिकन्दर खां

:–आदेश–: दिनांक : 28.01.2025

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

1. भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित ग्राम बूडसू की मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) सम्वत् 2008 के खाता संख्या 249/1 में खसरा नम्बर 304 मि. रकबा 10.01 बीघा किस्म बारानी दोयम (कॉलम संख्या 04 में नाम मालिक हासिल मय मल्दियत, कौमियत व समूनत में) डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह वएतमाम पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद 3/4 रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामलाल पि. रामचन्द्र हि. 1/4 ब्राहम्ण एवं (कॉलम संख्या 05 में नाम काश्तकार व शिकमी काश्तकार मय मल्दियत, कौमियत व सकूनत में) खुदकायत का अंकन दर्ज रहा है।
2. ग्राम बूडसू की प्रथम मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) सम्वत् 2008 (वर्ष 1951–1952) के अनुसार प्रश्नगत भूमि खुदकाश्त मन्दिर माफी की होने के कारण राजस्व रेकार्ड की जॉच व समीक्षा कर समुचित अभिलेखों के साथ इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के समक्ष अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा दर्ज रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 01/2012 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना बनाम रामपाल वगैरह में पारित

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को राजस्व रिकार्ड के बेमेल होने व युक्ति युक्त मिलान नहीं होने से अस्वीकार कर दिया तथा प्रार्थी तहसीलदार को विवादित भूमि के संबंध में सम्पूर्ण जाँच करते हुए यदि आवश्यक हो तो सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजात के साथ रेफरेन्स पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

4. उक्त निर्णय दिनांक 07.12.2022 के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.आ/म. माफी/रेफरेन्स/2023/735 दिनांक 28.02.2023 के द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित ग्रम बूडसू की मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) सम्वत् 2008 में खसरा नम्बर 304 मि. रकबा 10.01 बीघा भूमि को डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह खुदकाश्त की रेफरेन्स योग्य भूमि मानी जावें अथवा तत्समय दर्ज खसरा नम्बर 304 रकबा 40.05 बीघा में अंकित सम्बन्धित खातेदार के साथ दर्ज पुजारियों की स्वयं की (व्यक्तिगत) खूदकाश्त की भूमि मानी जाने के सम्बन्ध में प्रकरण में मन्दिर मूर्ति "शाश्वत अवयस्क" होने से भूमि के संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार का होने से राज्यहित निहित होने के कारण आवश्यक मार्गदर्शन, विधिक राय तथा पुनः रेफरेन्स किया जाने अथवा नहीं किया जाने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर (भू. अ.) नागौर को तमाम दस्तावेजों के साथ मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया गया।
5. प्रकरण में जिला कलक्टर (भू.अ.) डीडवाना–कुचामन के पत्रांक प–9( )भू.अ./रेफरेन्स/2024/856 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों की विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेज की कमी बतायी गयी है, उनकी कमी पूर्ति करते हुए पुनः रेफरेन्स की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये है।
6. ग्राम बुडसू की प्रथम मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) सम्वत् 2008 वर्ष 1951–1952 एवं राजस्व अभिलेखों की पुनः जाँच व समीक्षा कर ली गयी है, वक्त भू प्रबन्ध खसरा नम्बर 304 मि. रकबा 10.01 बीघा किस्म बारानी दोयम हाल खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.5621 हैक्टेयर बारानी 02 व खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयरप्रश्नगत भूमि "**खुदकाश्त**" मन्दिर माफी की होने के कारण पर विधि अनुसार मन्दिर मूर्ति से भिन्न पुजारी या अन्य किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है।
7. भू प्रबन्ध के बाद कालान्तर में संधारित जमाबन्दी सम्वत् 2010–2013 व 2018–2021 के क्रमशः खाता संख्या 282 व 293 के कॉलम संख्या 04 में डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह बएतमाम पुजारी बालदास वगैरह एवं कॉलम संख्या 05 में खुदकाश्त का अंकन विद्यमान है। जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 खता संख्या 293 के कॉलम 05 में रि (रिज्यूम) 01.07.1963 अंकित है।
8. ग्राम बुडसू की जमाबन्दी सम्वत् 2024–27 के खाता संख्या 185 में भूमि अधिकारी के कॉलम संख्या 04 में डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह बएतमाम पुजारी बालदास वगैरह के स्थान पर राजस्थान सरकार एवं नाम कृषक के कॉलम संख्या 05 में **खुदकाश्त** के स्थान पर बालदास चेला सीताराम 3/4 रामाकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप,सीताराम श्यामलाल पि. रामचन्द्र कोठारी 1/4 सा. देह खातेदार का विधि एवं नियमों के विपरित अंकन कर दिया गया। उक्त अविधिक खातेदारी दर्ज करने एवं

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पश्चातवर्ती विरासत और हस्तान्तरण के दर्ज तमाम नामान्तरकरण प्रभाव शून्य ;छन्स् ।छव टव्प्व्द्ध होने से निरस्तनीय है।

9. ग्राम बुडसू की जमाबन्दी सम्वत् 2030–33 की अवधि में सम्पूर्ण क्षेत्र में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू सुधार कार्यवाही की गयी। भू सुधार प्रक्रिया के दौरान खाता संख्या 185 में खसरा नम्बर 304 मिन रकबा 10.01 बीघा के स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 304/1 रकबा 10.01 बीघा दर्ज किये जाकर नक्शे में तरमीम कार्य किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2030–33, 2033–36, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2058–61, 2062–65, 2066–69, 2070–73 वर्तमान जमाबन्दी नकल अवलोकनार्थ संलग्न है।
10. प्रकरण में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 185, 748, 1235, 1440, 2695, 3017, 3026, 3360, 3645 प्रभाव शून्य ;छन्स् ।छव टव्प्व्द्ध होने से निरस्तनीय है।
11. विधि अनुसार मन्दिर मूर्ति "शाश्वत् अवयस्क" है, जिस पर किसी भी विधि से पुजारियों को अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है और ना ही उक्त भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण किया जा सकता है, और ना ही ऐसे अधिकार प्राप्त होते है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती से यदि किसी पुजारी के विधि विरूद्ध खातेदारी अधिकार दर्ज कर दिये गये है और मिथ्या एवं कपट के आधार पर कोई भी वाद एवं वाद में पारित डिक्री व निर्णय प्राप्त कर भी लिया हो तो प्रभाव शून्य ;छन्स् ।छव टव्प्व्द्ध होने से निरस्तनीय है। इस बाबत् राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.01.1998, 25.11.2011 व 11.06.2020 की प्रति वास्ते अवलोकनार्थ संलग्न है।
12. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू होती है। एक विधवा और अवयस्क की भूमि धारा 5(23), 5(25) के तहत वैसक्तिक रूप से जोती मानी गयी खुदकाश्त भूमि है, जिस पर काश्त करने वाला व्यक्ति धारा 15 व 19 के तहत और प्रतिकूल कब्जे ;।कअमतेम च्वेमेपवदद्ध को आधार मानकर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है।
13. ग्राम बूडसू की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2008 के अनुसार मूल खसरा नम्बर 304 जो कि खातेदारी भूमि है और जिसका वास्तविक रकबा 40.05 बीघा के बजाय 30.04 बीघा है। प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण उक्त 30.04 बीघा खातेदारी भूमि के अलावा **"खुदकाश्त"** मन्दिर माफी की भूमि रकबा 10.01 बीघा का ही किया जा रहा है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न है। वांछित अन्य सूचनाएं एवं दस्तावेज दौराने सुनवाई व बहस प्रस्तुत किये जायेगें।

उपरोक्त विवेचनानुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वार संधारित ग्राम बूडसू की मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) सम्वत् 2008 के खाता संख्या 249/1 खसरा नम्बर 304 मिन रकबा 10.01 बीघा हाल खसरा नम्बर 304 मि. रकबा 10.01 बीघा किस्त बारानी दोयम हाल खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.5621 हैक्टेयर बारानी 02 व खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके हेह की खुदकाश्त की भूमि है मन्दिर मूर्ति "शाश्वत् अवयस्क" है, पर विधि अनुसार मन्दिर मूर्ति से भिन्न पुजारी या अन्य किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते है। प्रकरण में मन्दिर मूर्ति "शाश्वत् अवयस्क" होने से भूमि के संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार के होने से राज्यहित निहित होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज उक्त खुदकाश्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज खातेदारी एवं तमाम हस्तान्तरण अवैध और नियमों के विरूद्ध होने से अन्तर्गत धारा 82, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बूडसू के वर्तमान खसरा नम्बर 304/1 रकबा 1.5621 हैक्टेयर बारानी 02 व खसरा नम्बर 304/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता कुल रकबा 1.6268 हैक्टेयर में कोमल पुत्री भगवानदास हिस्सा 1/2 जाति स्वामी निवासी बलरामदास कॉलोनी, नागौर जिला नागौर एवं विजयकुमार पुत्र रामेश्वरलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राहम्ण निवासी झालरा तालाब मकराना तहसील मकराना के नाम अवैध एवं नियम विरूद्ध दर्ज खातेदारी भूमि को निरस्त कर पुनः डोली बनात मन्दिर श्री रूघनाथ वाके देह के नाम दर्ज रेकार्ड कराने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री सिकन्दर खां ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 82 भू राजस्व अधिनियम बाबत् निम्न प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई जो निम्न प्रकार हैः–

1. प्रकरण में लिप्त आराजी खसरा नम्बर 304 कुल रकबा 40 बीघ 05 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्बत् 2010 से 2013 में खातेदार के कॉलम में चतरा वल्द कजोडा नाई 3/4, रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामसुन्दर पिता रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण खुदकाश्त 1/4 से दर्ज थी। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उपरोक्त खातेदारों के नाम बतोर टिनेन्ट बरवक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान रिज्मशन ऑफ जागीर एक्ट दर्ज चली आ रही थी जो कॉलम संख्या 05 से स्पष्ट है। उपरोक्त भूमि मूर्ति मन्दिर डोली श्री रघुनाथजी की जागीर की भूमि थी तथा चतरा वगैरह विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार थे। जांगीर रिजम्पसन के समय मूर्ति मन्दिर डोली श्री रघुनाथजी जांगीरदार थे तथा अप्रार्थीगण काश्तकार थे। ऐसी स्थिति में राजस्थान लैण्ड रिफोम्स एण्ड रिजम्पसन ऑफ जांगीर एक्ट 1952 की धारा 9 के तहत खातेदार चतरा वगैरह को स्वतः ही विवादित भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। जैसा कि धारा 9 को इस प्रकार परिभाषित किया गया है

   "**9. Khatedari rights in Jagi lands :** Every tenant in a Jagir land who at the commencement of this act is entered in the revenue records as a khatedar, pattedar, khademdar or under any other description implying that the tenant has heritable and full transgerabke rights in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a lhatedar tenant in respect of such land."

   माननीय उच्च न्यायालय व माननीय इस न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2000 आर. आर.डी. पेज 14, 109 व 189 एवं 2009–10 आर.आर.टी. पेज 173 व 294 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

2. प्रकरण में लिप्त विवादित भूमि बाबत् पूर्व में ही सक्षम न्यायालय में खातेदारी उदघोषणा व बेदखली का वाद डोली बनाम मंदिर की ओर से विचाराधीन है जो वाद संख्या 93/2003 नम्बर से दर्ज है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 82 भू राजस्व अधिनियम का[illegible] योग्य नहीं है जैसाकि मूर्ति मंदिर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

हक व अधिकार सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में ही निर्णीत किये जायेंगे। रेफरेन्स कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार निर्णीत नहीं किये जा सकते है जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2013 आरबीजे पेज 242, 2015 आरआरडी पेज 348, 1996 आरबीजे पेज 132, 2001 डब्ल्यूएलसी (यू.सी.) पेज 451 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

3. प्रार्थी ने उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर इनओरडीनेट डिले के पश्चात् प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व के राजस्व रिकार्ड को उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में चुनौती दी है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् का ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी की खातेदारी अवलोपित कर उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हो। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी धारा 46 आर0टी0 एक्ट के उल्लंघन को साबित करने में विफल रहे है। सम्वत् 2010 से लगातार उक्त भूमि खातेदारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जो आगे से आगे समय समय पर बेचान की गयी है जिसमें स्वयं प्रार्थी तहसीलदार मकराना बतौर उप पंजीयक की हैसियत से उक्त दस्तोवेजों को पंजीबद्ध किया है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों व विरासत के आधार पर अलग अलग समय पर उक्त भूमि के इन्द्राजों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है। जिसके इन्द्राज को इनओरडीनेट डिले के पश्चात् चुनौती नहीं दी जा सकती है जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय व माननीय न्यायालय ने अपे न्ययिक दृष्टान्त 1996 आरबीजे पेज 199, 2006(1) आरएलडब्ल्यू(आर.जे.) पेज 54 व 66, 2005(3) डब्ल्यूएलसी पेज 688 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

4. पूर्व में उपरोक्त भूमि बाबत् विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने जिन आधारों पर रेफरेस प्रार्थी का खारिज किया था उसके पश्चात् ऐसा कोई नया तथ्य प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनके प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई बल मिलता हो। पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उपरोक्त प्रार्थना पत्र समान विन्दू पर है। प्रार्थी ने बिना किसी प्रकार की कोई जाँच किये केवल अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः श्रीमान् के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित निरस्त फराया जावें।

आपत्ति का जवाब प्रार्थी तहसीलदार मकराना द्वारा दिया गया है जो निम्न प्रकार है:–

अप्रार्थी द्वारा पूर्व में इसी विषय वस्तु के सन्दर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 01/2012 बअनवान राजस्थान सरकार बनाम रामपाल में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2022 के द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को राजस्व रेकार्ड के बेमेल होने एवं युक्तियुक्त मिलान नहीं होने से अस्वीकार करने एवं तहसीलदार को यह निर्देश किये कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जाँच कर आवश्यक हो तो सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज के साथ रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु राज्य

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

सरकार स्वतन्त्र रहेगी। प्रकरण में उक्त निर्णय की पालना में इस कार्यालय द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, डीडवाना–कुचमान से मार्गदर्शन एवं विधिक राय चाही जाने पर श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, डीवाना–कुचामन के पत्रांक प–9()भू.अ./रेफरेंस/2024/856 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेज की कमी बतायी गयी है, उनकी कमी पूर्ति करते हुए पुनः रेफरेन्स की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर ही पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि इसी विषय वस्तु के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा दर्ज रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 01/2012 उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना बनाम रामपाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को राजस्व रिकॉर्ड में बेमेल होने व युक्ति युक्त मिलान नहीं होने से अस्वीकार कर दिया तथा प्रार्थी तहसीलदार को विवादित भूमि के संबंध में सम्पूर्ण जांच करते हुए यदि आवश्यक हो तो सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजात के साथ रेफरेन्स पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। निर्णय दिनांक 07.12.2022 की पालना हेतु प्रार्थी द्वारा जिला कार्यालय को आवश्यक मार्गदर्शन, विधिक राय कि पुनः रेफरेन्स किया जाना उचित है अथवा नहीं बाबत निवेदन किया जाने पर जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन ने तहसीलदार मकराना को अपने पंत्राक प–9( )भू.अ./रेफरेन्स/2024/856 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों की विवेचना के आधारपर न्यायालय द्वारा जिन दस्तावेज की कमी बताई गई है उनकी कमी पूर्ति करते हुए पुनः रेफरेन्स की कार्यवाही करने के निर्देशप्रदान करने पर प्रार्थी तहसीलदार मकराना द्वारा पुनः ग्राम बूडसू की भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत एवं बेमेल संधारित मिसल बन्दोबस्त (खतोनी) संवत 2008 को आधार मानकर बिना रेकार्ड की समीक्षा किये रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया है जो उचित नहीं है। उक्त भूमि मन्दिर माफि की खुदकाश्त की भूमि नहीं होकर खातेदारी भूमि है। जिनके समर्थन में निम्न तथ्य एवं दस्तावेजों के आधार पर रेफरेन्स प्रार्थना अस्वीकार योग्य है कि:–

1. प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मकराना द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित ग्राम बूडसू की मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) संवत 2008 में खसरा नम्बर 304 व 304 मि. के संबंध में दर्ज रिकॉर्ड की स्थिति निम्नानुसार उल्लेखित की है :–

नम्बर खतौनी (कॉलम सं0 02)	नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कौमियत व सकूनत (कॉलम सं0 04)	नाम काश्तकार व शिकमी मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत (कॉलम सं0 05)	नम्बर खेत मय नाम (कॉलम सं0 06)	किस्म व रकबा (कॉलम सं0 7, 9 व 10)
249/1	डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह वएतमाम पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद 3/4 रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम,	खुदकाश्त	304 मी.	बारानी दोयम रकबा 10.01 बीघा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

	श्यामलाल पि.रामचन्द्र हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण			
249/2	डोली बनाम मन्दिर रूघनाथजी व. खा. नं. 249/1 डोलीदार	चतरा वल्द कजोड कौम नाई हि. 3/4 खातेदार रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामलाल पि.रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण हि. 1/4 पुजारी	304 303	बारानी दोयम रकबा 40.05 बीघा गै0मु0 0.08 बीघा बेरा 40.13 बीघा

2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मकराना द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित ग्राम बूडसू की मिसल बन्दोवस्त के प्रथम भाग खसरा गिरदावरी संवत 2008 में खसरा सं0 303, 304 व 304 मी. के संबंध में दर्ज रेकार्ड की स्थिति निम्नानुसार उल्लेखित है :–

नम्बर खेत कॉलम संख्या 01	नाम खेत मय रकबा कॉलम सं0 02	नम्बर खतौनी कॉलम सं0 03	नाम मालिक हासिल मय वल्दियत कौमियत व सकूनत कॉलम सं0 05	नाम काश्तकार व शिकमी मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत कॉलम सं0 06	किस्म जमीन व रकबा कॉलम सं0 7, 9, व 10	की गई गिरदावरी का विवरण कॉलम सं0 11, 12, 13, 14
303	बेरा रामदास वालों 0.08 बीघा	249/2	डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह वएतमाम पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद 3/4 राकिशन व हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम श्यामलाल पि. रामचन्द्र 1/4 कौम ब्राहम्ण	चतरा वल्द कजोड कौम नाई खातेदार	गैर मु0 बेरा रकबा 0.08 बीघा	–
304 मी.	जाव 10.01 बीघा	249/1	डोली श्री रूघनाथजी व.श. न. 303	खुदकाश्त	बारानी दोयम रकबा 10.01 बीघा	मोठ 6.01 बीघा,बाजरी 2.10 बीघा, जो 1.05 बीघा तम्बाकु 0.05 बीघा कुल 10.01 बीघा
304	30.04 बीघा	249/2	डोली श्री रूगनाथ जी व. श.न. 303	चतरा व. न. 303 खातेदार	बारानी दोयम रकबा 30.04 बीघा	मोठ 6.01 बीघा, बाजरी 7.10 बीघा, तम्बाकु 0.15 बीघा कुल 30.04 बीघा

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

3. प्रार्थी द्वारा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित प्रथम अभिलेख मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) संवत 2008 के अनुसार खाता संख्या 249/1, खसरा सं0 304 मी. रकबा 10.01 बीघा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह की खुदकाश्त की भूमि एवं खाता सं0 249/2 में खसरा सं0 304 रकबा 40.05 बीघा, खसरा सं0 303 रकबा 0.08 बीघा किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा 40.13 बीघा भी डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह की भूमि दर्ज रेकार्ड रही है, परन्तु कॉलम सं0 5 में चतरा वल्द कजोडा कौम नाई हि03/4 खातेदार रामाकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामसुन्दर पि. रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण सा. देह खुदकाश्त 1/4 पुजारी दर्ज रेकार्ड रहीं है, अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया है।
4. प्रार्थी द्वारा स्वयं ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में यह माना एवं स्वीकार किया है कि खसरा सं0 304 मी. रकबा 10.01 बीघा रकबा 40.05 बीघा का कुल रकबा 50.06 बीघा होना चाहिए परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा ही संधारित खसरा गिरदावरी संवत 2008 के अनुसार खसरा नम्बर304 मी. का रकबा 10.01 बीघा भूमि पृथक से नाम मालिक के रूप में डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी व.श.न. 303 एवं काश्तकार के कॉलम में खुदकाश्त एवं खसरा सं0 304 रकबा 30.04 बीघा में नाम मालिक के रूप में डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी व.श.न. 303 काश्तकार के कॉलम में चतरा व.न. 303 खातेदार अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर304 व 304 मी. का वास्तविक कुल क्षेत्रफल 40.05 बीघा ही है, जिसमें 10.01 बीघा रेफरेन्स की गयी भूमि भी समिलित है उल्लेखिता किया है। प्रार्थी के उल्लेखितानुसार रेकार्ड के बेमेल एवं विसंगति पूर्ण होना स्वतः साबित होता है।
5. मिसल बन्दोबस्त के अनुसार ग्राम बूडसू में रूघनाथजी के मन्दिर के तत्कालीन पुजारी का विवरण निम्न प्रकार से रहा है:–

नम्बर खतोनी कॉलम सं0 02	नाम मालिक हासिल मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत कॉलम सं0 04	नाम काश्तकार व शिकमी मय वल्दियत, कौमियत व सकूनत कॉलम सं0 05	नम्बर खेत मय नाम कॉलम सं0 06	किस्म व रकबा कॉलम सं0 7, 9 व 10
249/1	डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह वएतमाम पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद 3/4 रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, श्यामलाल पि. रामचन्द्र हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण	खुदकाश्त	304 मी.	बारानी दोयम रकबा 10.01 बीघा
249/2	डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी व.खा.न. 249/1 डोलीदार	चतरा वल्द कजोडा कौम नाई हि. 3/4 खातेदार रामकिशन, हीरालाल, सीताराम,	304 303	बारानी दोयम रकबा 40.05 बीघा गै0मु0 0.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

		श्यामसुन्दर पि. रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण सा0 देह खुदकाश्त 1/4		बीघा बेरा 40.13 बीघा
249/3	डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह वएतमाम पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद सा. देह पुजारी	बिडदा वल्द रूडा कौम जाट सा. देह खातेदार	327	35.09 बीघा
249/4	डोली बनाम मन्दिर श्री रूगनाथजी वाके देह स्थान वएतमाम पुजारी बालताराम चेला लिछमणराम कौम साद सा. देह पुजारी डोलीदार	खुदकाश्त	362 359 324 330 357 323 360 358 361	10.00 बीघा 36.18 बीघा 151.00 बीघा 44.09 बीघा 23.04 बीघा 5.16 बीघा 2.16 बीघा 0.15 बीघा 0.15 बीघा
249/5	डोली बनाम मन्दिर श्री रूगनाथजी वाके देह वएतमाम पुजारी बोलताराम चेला सीताराम सा. देह पुजारी	माना वल्द दला कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	80	16.15 बीघा
249/6	डोली बनाम मन्दिर श्री रूगनाथजी वएतमाम पुजारी बोलताराम चेला लक्षमणराम सा. देह पुजारी डोलीदार	उदीया वल्द रूपा कौम भाम्बी सा0 देह खातेदार	286	30.14

उपरोक्त यह स्पष्ट है कि श्री रूघनाथ जी के मन्दिर के पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद सा. देह एवं बोलताराम चेला लक्षमणराम सा. देह दर्ज रिकॉर्ड रहे है। खसरा नम्बर 304 एवं304 मी. के साथ अंकित रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामसुन्दर पि. रामचन्द्र हि. 1/4 कौम ब्राहम्ण कभी भी मन्दिर के पुजारी नहीं रहे है।

6. खसरा नम्वर 304 कुल रकबा 40.05 बीघा में माफी मन्दिर रूघनाथजी जरिये पुजारी बालदास चेला सीताराम कौम साद 3/4 हिस्सा दर्ज था जिसक स्थान पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा चतरा वल्द कजोडा नाई की खातेदारी अंकित कर दी एवं रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामसुन्दर पि. रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण सा. देह खुदकाश्त 1/4 पुजारी अंकित कर दिया , जबकि उक्त 1/4 के सभी हिस्सेदारों की भूमि खुदकाश्त की भूमि रही है एवं उक्त हिस्सेदार कभी भी उक्त मन्दिर के पुजारी नहीं रहे है एवं उक्त 1/4 हिस्से की भूमि कभी भी मन्दिर खुदकाश्त की भूमि नहीं रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

7. मौके एवं नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 304 का कुल क्षेत्रफल ही 40.05 बीघा है जबकि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से विसंगति पूर्ण एवं बेमेल अभिलेख संधारित कर खसरा सं0 304 मी. रकबा 10.01 बीघा बना दिया जो कतई नियमानुसार नहीं है। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा में कहीं भी खसरा नम्बर 304 मी. का उल्लेख नहीं है।
8. भूप्रबन्ध विभाग द्वारा वर्ष 1975–76 में संक्षिप्त भूप्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान मौके एवं कब्जे के अनुसार खसरा सं0 304 का कुल क्षेत्रफल ही 40.05 बीघा में से 10.01 बीघा की पृथक से तरमीम करते हुए खसरा सं0 304/1 अंकित किये गये तथ मूल खसरा सं0 304 चतरा नाई की खातेदारी भूमि के अंकित किये गये।
9. भूप्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित मिसल बन्दोबस्त के अनुसार कालान्तर में राजस्व अभिलेख भी उक्तानुसार ही विसंगति पूर्ण एवं गलत संधारित होता रहा है जबकि खसरा सं0 303 रकबा 0.08 बीघा गै.मु. बेरा में 1/4 हिस्सा एवं खसरा सं0 304 रकबा 40.05 बीघा में 1/4 हिससा 10.01 बीघा भूमि रामाकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामसुन्दर पि0 रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण सा. देह खुदकाश्त की खातेदारी भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी।
10. भूप्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा सं0 303 व 304 के द्वारा जारी पर्चा खतौनी में भी काफी ओवरराईटिंग की गयी है एवं पर्चा खतौनी के द्वितीय पृष्ठ पर दिनांक 26.02.1950 को यह अंकित किया कि बेरा रामदास वाला में 3/4 हिस्से में चतरा नाई करीब 5 साल से काश्त करता हा रहा है व बाकी के हिस्से में डोलीदार ब्राहम्ण खुदकाश्त करते है। लिहाजा चतरा को 3/4 हिस्से में खातेदार दर्ज किया जावें अंकित है। उक्त टिप्पणी से भी स्पष्ट है कि उक्त 3/4 हिस्से के अतिरिक्त शेष रहा 1/4 हिस्से पर डोलीदार ब्राहम्ण खुदकाश्त करते है। अर्थात यह अंकित नहीं किया है उक्त 1/4 हिस्से की भूमि मन्दिर की खुदकाश्त भूमि है।
11. भूप्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के पश्चात किसी भी गिरदावरी में खसरा सं0 303 रकबा 0.08 बीघा व 304 रकबा 40.05 बीघा में कभीभी माफी मन्दिर रूघनाथ जी की खुदकाश्त भूमि अंकित नहीं रही हैं, एवं जरिये पुजारी मन्दिर माफी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त सम्पूर्ण भूमि की कब्जा काश्त गिरदावरी भी सम्मिलित रूप से की गई है एवं प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त चतरा नाई एवं रामाकिशन वगैराह ब्राहम्ण का रहा।
12. अप्रार्थी सं0 01 व 02 सदभावी क्रेता है मौके पर विक्रेतागण से कब्जा प्राप्त कर आदिनांक काविज है।
13. इसी विषय वस्तु के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा दर्ज रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 01/2012 उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मकराना बनाम रामपाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को राजस्व रिकॉर्ड के बेमेल होने व युक्ति युक्त मिलान नहीं होने से अस्वीकार कर दिया गया था प्रार्थी तहसीलदार मकराना द्वारा पुनः ग्राम बूडसू की भूप्रबन्ध विभाग द्वारा गलत व बेमेल संधारित मिसल बन्दोबस्त खतोनी संवंत 2008

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

को आधार मानकर बिना रेकार्ड की समीक्षा किये रेफरेन्स प्रस्तुत कर दिया है जो उचित नहीं है एवं रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत भूमि सरहद मौजा बूडसू के मिसल बन्दोबस्त खतोनी संवंत 2008 के खाता संख्या 249/1 खसरा सं0 304 मी. रकबा 10.01 बीघा किस्म बारानी दोयम हाल खसरा सं0 304/1 रकबा 1.5621 हैक्टयर बारानी 2 व खसरा सं0 304/2 रकबा 0.0647 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता कुल रकबा 1.6268 हैक्टयर भूमि को माफी मन्दिर की भूमि नहीं होकर तत्समय रामाकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामलाल पि0 रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण की खुदकाश्त की खातेदारी भूमि होने के कारण बेमेल एवं विसंगति पूर्ण मिसल बन्दोबस्त के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए प्रार्थी राजस्थान सरकार को इस आशय के निर्देश प्रदान करावें कि उपरोक्त भूमि माफी मन्दिर की नहीं होने से रेफरेन्स योग्य नहीं है एवं जमाबन्दी में अविधिक अंकित मन्दिर माफी के नोट को भी हटवाया जाकर अप्रार्थीगण को राहत प्रदान करावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में रेंफरेंस इस निर्देश के साथ अस्वीकार किया गया कि विवादित भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज की जांच करते हुए यदि आवश्यक हो तो सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजात के साथ रेफरेंस पुनः प्रस्तुत करें।

प्रस्तुत रेफरेंस पूर्व में प्रस्तुत रेफरेंस के साथप्रस्तुत किया गया रेकर्ड के आधार पर पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत रेफरेंस तहसीलदार मकराना द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा संधारित ग्राम बूडसू की मिसल बन्दोबस्त (खतौनी) संवत 2008 के खाता संख्या 249/1 खसरा सं0 304 मिन रकबा 10.01 बीघा हाल खसरा सं0 304 मि. रकबा 10.01 बीघा किस्म बारानी दोयम हाल खसरा सं0 304/ रकबा 1.5621 हैक्टयर बारानी 2 व खसरा सं0 304/2 रकबा 0.0647 हैक्टयर गै0मु0 रास्त कुल रकबा 1.6268 हैक्टयर भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथजी वाके देह की खुदकाश्त की भूमि है मन्दिर मूर्ति "शाश्वत अवयस्क" है तथा यह प्रार्थना है कि प्रकरण में मन्दिर मूर्ति "शाश्वत् अवयस्क" होने से भूमि के संरक्षण का दायित्व राज्य सरकार का होने से राज्यहित निहित होने के कारण मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज उक्त खुदकाश्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज खातेदारी एवं तमाम हस्तानान्तरण अवैध और नियमों के विरूद्ध है।

प्रस्तुत रिकॉर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि जमाबन्दी संवत 2010–13 में खसरा सं0 304 रकबा 40.05 बीघा दर्शाया गया है। जिसमें कृषक के कॉलम में निम्न प्रकार ईन्द्राज है चतारा वल्द कजोडा नाई 3/4 रामकि न, हिरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामसुन्दर पि0 रामचन्द्र कौम ब्राहम्ण सा0 देह खुदकाश्त 1/4 पुजारी यही प्रविष्टि संवत 2014 से 2017 में भी है। संवत 2018 से 2021 में भी यही प्रविष्टि है। इन प्रविष्टि के साथ जमाबन्दी संवत 2010–13 में डोली बनाम मन्दिर श्री रूघनाथ जी वाके देह बएतमाम पुजारी बालदास चेला सीताराम साद 3/4, रामकिशन, हीरालाल, रामस्वरूप, सीताराम, श्यामलाल पि0 रामचन्द्र 1/4 कौम ब्राहमण सा. देह है। जमाबन्दी संवत [illegible] 2027 में इसी प्रकार प्रविष्टि है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

विशेष विवरण के कॉलम में खसरा सं0 304 का कुल रकबा 40.05 बिघा है मगर खाता सं0 185 में 10.01 बीघा फिर दर्ज है तथा उसके पश्चात संवत 2030–33 की जमाबन्दी में खसरा सं0 304 में 30.04 बीघा दिखाया गया है। पूर्व में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.12.2022 को जिन निर्देशों के साथ निर्णय किया गया था उनके संबंध में तहसीलदार द्वारा किन रिकॉर्ड का परिक्षण किया गया इसका अंकन किये बिना ही पुनः रेफरेंस प्रस्तुत किया गया। संवत 2024 से 2027 कि जमाबन्दी में दर्ज विवरण तथा संवत 2030–33 की जमाबन्दी में किये गये परिवर्तन किस अधिकारी द्वारा तय किये गये यह भी कहीं अंकन नहीं किया गया है न ही इस संबंध में कोई परिक्षण किया गया है। न ही प्रस्तुत किये गये रेफरेंस प्रार्थना पत्र में संवत 2008 के मिसल बन्दोबस्त के संबंध में अंकन की स्थिति एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये है। तहसीलदार द्वारा परिशिष्ट 3 के रूप में एक पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें पेज सं0 2 पर संवत 2008 की स्थिति खसरा सं0 304 व 304 मिन कि दर्शाई है, बिन्दु सं0 03 में खसरा खतोनी सं0 249/1 में खसरा संख्या 304 मिन रकबा 10.01 बीघा मन्दिर कि खुदकाश्त का दिखाया गया है तथा खसरा सं0 304 खतोनी सं0 249/2 में 40.05 बीघा दिखया है तथा निचे पुनः टेबल में खतोनी संख्या 249/1 में 10..01 बीघा दिखाया है तथा खतोनी संख्या 249/2 में 30.04 बीघा दिखाया है इस प्रकार जिला कलक्टर नागौर को लिखे गये पत्र में भी भिन्न–भिन्न स्थिति दर्शा दी गई है इस संबंध में तत्तसमय का रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल का पूर्ण परिक्षण नहीं किया है। पूर्व में पारित निर्णय के निर्देश की पालना किये बिना ही रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अभिभाशक अप्रार्थीगण द्वारा भू–प्रबन्ध तथा उसके बाद का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना में एक प्रकरण उपरोक्त संदर्भित दोनों ही खसरा नंम्बर के संबंध में विचाराधीन होना पाया गया है। उस प्रकरण में कोई प्रभावी निर्णय पारित हुआ है या नहीं प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है या नहीं इस संबंध में भी कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना किये बिना ही प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः प्रकरण अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मकराना को पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में संवत 2010 से 2013 से पूर्व का रिकॉर्ड, मिलान क्षेत्रफल, मिसल बन्दोबस्त, नक्शा किश्तवार ट्रेस, संवत 2024–27 में जमाबन्दी में किये गये अंकन के आधार सहित सभी तथ्यों के परिक्षण के बाद राज्य सरकार के इस संबंध में प्रसारित निर्देशों के क्रम में पूर्ण रिकॉर्ड का परिक्षण कर तथा न्यायालय सहायक कलक्टर मकराना में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आवश्यक होने पर उपरोक्त सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए रेफरेंस पुनः पूर्ण रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

(पुखराज सेन IAS)
जिला कलक्टर
डिडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.01.31 17:45:36 IST
Reason: SelfAttested